न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–बन्शी धर योगी, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–06/2017 राजस्व वाद

1. जग्गु पिता फत्ता गुर्जर उम्र–वयस्क निवासी रलायता तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
2. रामा पिता श्रीचन्द गुर्जर उम्र–वयस्क निवासी रलायता तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
3. भागु पिता श्रीचन्द गुर्जर उम्र–वयस्क निवासी रलायता तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
4. सोसी पिता श्रीचन्द गुर्जर पत्नी खेमा गुर्जर उम्र–वयस्क निवासी रलायता तहसील करेड़ा हाल हीरा जी का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
5. बगती पत्नी श्रीचन्द गुर्जर उम्र–वयस्क निवासी रलायता तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

––वादीगण

बनाम

1. मनोहर कंवर पत्नी अजीतसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. प्यारा पुत्र त्रिलोक गुर्जर उम्र–वयस्क निवासी संजाड़ी का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

– प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :–
1. श्री मुकेश कुमार जैन ––अधिवक्ता वादी
2. एकपक्षीय कार्यवाही– ––प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02
3. पेरोकार सरकार ––उपस्थित प्रतिवादी संख्या 03

:: निर्णय :: दिनांक– 03/09/2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि ग्राम चिताम्बा तहसील करेड़ा के बैरून हल्के में साबिक आराजी संख्या 256 मी. रकबा 128 बीघा 18 बिस्वा अवस्थित चली आ रही थी व है जो तत्कालीन समय में मनोहर सिंह पिता मोखम सिंह राजपूत के नाम पर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से अभिलिखित थी उक्त आराजियात में से मनोहर सिंह ने 20 बीघा आराजियात दिनांक 07/01/1964 को 171 रूपये के जायज प्रतिफल में वादी संख्या 01 के पिता एवं वादी संख्या 02 से 04 के पितामह एवं वादी संख्या 05 के ससुर फत्ता पिता

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

गोमा गुर्जर को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से विकय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया तथा उक्त खरीदशुदा आराजियात के चारों तरफ पत्थरों की कोट काफी लागत लगा एवं श्रम कर निर्मित करायी तारीख खरीद से ही फत्ता जी एवं उनके निधन उपरांत वादी संख्या 01 के पिता एवं वादी संख्या 02 से 04 के पिता एवं वादी सख्या 05 के पति श्रीचंद की मृत्यू उपरांत वादी संख्या 02 से 05 उक्त खरीदशुदा आराजियात पर बहैसियत खातेदार कृषक काबिज हो उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरणकरण संख्या 129 विधिवत फत्ता जी के नाम पर खोलकर दिनांक 28/04/1964 को फैसल किया गया जिसकी नकल हमराह वाद पेश है। कालान्तर में तत्कालीन तहसील माण्डल एवं वर्तमान तहसील करेड़ा का सेटलमेंट हुआ उस सेटलमेंट में उक्त खरीदशुदा 20 बीघा आराजियात के नये नम्बर 629 रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा एवं 628 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा कुल कींता 02 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा आराजियात वादी संख्या 01 के पिता एवं वादी संख्या 02 से 04 के पितामह एवं वादी संख्या 05 के ससुर फत्ता के नाम पर खातेदारी हक से अभिलिखित की गयी सेटलमेंट के दौरान जरीब के नाप के अंतर के कारण उक्त 20 बीघा रकबे का नया रकबा 17 बीघा कानूनन बनता है किन्तु सेटलमेंट विभाग ने गफलत एवं लापरवाही पूर्वक तरीके से वादीगण का कब्जा नये रकबे अनुसार 17 बीघा भू भाग पर होते हुये भी मात्र राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में 15 बीघा 10 बिस्वा ही दर्ज किया जबकि सेटलमेंट विभाग को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है सेटलमेंट विभाग को माफिक कब्जे एवं नपती अनुसार 17 ही बीघा आराजियात वादीगण अथवा वादी संख्या 01 के पिता एवं वादी संख्या 02 से 04 के पितामह एवं वादी संख्या 05 के ससुर फत्ता जी के नाम पर राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में अभिलिखित करना चाहिये था। वर्तमान में आराजी संख्या 628 व 629 के सहखातेदारान के मध्य विभाजन हो जाने से उसके बट्टा नम्बर कायम करते हुये आराजी संख्या 628/1 रकबा 02 बिस्वा, आराजी संख्या 629/1 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा वादी संख्या 01 के नाम पर व आराजी संख्या 629 मी. रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा वादी संख्या 03 व 04 के नाम पर व आराजी संख्या 628 मी. रकबा 07 बिस्वा, आराजी संख्या 629/2 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा वादी संख्या 02 व 05 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित चली आ रही है वर्तमान में उक्त विभाजन बाबत् कोई विवाद नहीं है मात्र इन्द्राज दुरूस्ती मूल आराजी संख्या के बाबत् ही विवाद होने से यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण की खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की उक्त आराजी संख्या 628 व 629 के ठीक पश्चिमी तरफ से लगी हुयी हॉल आराजी संख्या 630 रकबा 23 बीघा, जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से अभिलिखित चली आ रही है हॉल ही में दिसम्बर 2016 में प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की उक्त वर्णित आराजी संख्या 630 की पत्थरगढ़ी कराने पर मौका पर्चा बनाया गया जिसमें लगभग 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर वादीगण का कब्जा होने का उल्लेख किया गया उक्त मौके पर्चे से वादीगण को राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में सेटलमेंट विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट गलत इन्द्राज कर दिये जाने की सर्वप्रथम जानकारी हुयी इससे पूर्व वादीगण को अपनी खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की आराजियात में 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि कम दर्ज होने की कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि वादीगण का कब्जा फत्ता जी के समय से ही सम्पूर्ण 20 बीघा एवं जिसका नया रकबा 17 बीघा बनता है पर निरंतर शांतिपूर्वक तरीके से हो चला आ रहा है। यहां यह अंकित करना भी सुसंगत होगा कि आराजी संख्या 630 को तत्कालीन खातेदार द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 प्यारा गुर्जर को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से हस्तान्तरित किया तथा पुनः प्रतिवादी संख्या 02 ने उक्त आराजियात

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़ा

प्रतिवादी संख्या 01 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से हस्तान्तरित कर दी। प्रतिवादी संख्या 01 मनोहर कंवर तत्कालीन खातेदार मनोहर सिंह की पौत्र वधु है अर्थात मनोहरसिंह के पौत्र अजीतसिंह पिता दलेलसिंह की पत्नी होकर एक ही परिवार के सदस्य है इस प्रकार आराजी संख्या 630 में सेटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व रेकार्ड में वादीगण की खरीदशुदा आराजियात का 01 बीघा 10 बिस्वा भू भाग गलत तरीके से सम्मिलित कर दिया गया है जिसे पुनः वादीगण अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे मे अभिलिखित करा इन्द्राज दुरूस्ती कराने के अधिकारी है। वादीगण को ज्योंहि सेटलमेंट विभाग द्वारा गफलत एवं लापरवाहीपूर्वक तरीके से वादीगण के आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकार की आराजियात का 01 बीघा 10 बिस्वा भू भाग प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम पर अभिलिखित हो जाने की ज्योंहि जानकारी हुयी त्योंहि वादीगण ने कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को उक्त आराजी संख्या 630 में से 01 बीघा 10 बिस्वा रकबे की कमी करते हुये उक्त रकबा वादीगण के नाम पर खातेदारी हक से अभिलिखित कराने हेतु कहा तो वे मात्र आश्वासन देकर समय व्यतीत करते रहे। वादीगण ने पुनः दिनांक 31/05/2017 को प्रतिवादीगण को उनके खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 630 के रकबे में से 01 बीघा 10 बिस्वा रकबा कम कर वादीगण के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 628 व 629 में सम्मिलित करने हेतु कहा अर्थात आराजी संख्या 628 व 629 का कुलिया रकबा 17 बीघा का खातेदार काश्तकार वादीगण के होने बाबत् कहा तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया अर्थात प्रतिवादीगण अपने खातेदारी अधिकार की आराजियात में से 01 बीघा 10 बिस्वा भू भाग का खातेदार काश्तकार वादीगण को होना नहीं मानते है इस कारण यह घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी संख्या 01 के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की हॉल आराजी संख्या 630 के रकबे में से 01 बीघा 10 बिस्वा रकबे की कमी कर उक्त कमीशुदा रकबा वादीगण के हॉल आराजी संख्या 628 व 629 में सम्मिलित करते हुये वादीगण कुलिया 17 बीघा भू भाग के खातेदार काश्तकार है तदनुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में भी इन्द्राज दुरूस्ती कराने के वादीगण अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 01 की हॉल आराजी संख्या 630 में वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की आराजियात का 01 बीघा 10 बिस्वा भू भाग गलत तरीके से अभिलिखित कर दिये जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 कभी भी उक्त गलत इन्द्राज का फायदा उठा उक्त आराजियात को रहन बय बक्षीस कर हस्तान्तरित कर सकती है अथवा वादीगण को उक्त आराजियात के 01 बीघा 10 बिस्वा भू भाग जो कि हाल आराजी संख्या 628 व 629 से लगा हुआ है, से जबरन बेदखल कर सकती है जिसका प्रतिवादी संख्या 01 को कोई हक व अधिकार नहीं है प्रतिवादी संख्या 01 को समझाने बुझाने पर वे नहीं मान लडाई झगड़े हेतु आमादा होती है इस कारण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी संख्या 01 हॉल आराजी संख्या 630 वाके चिताम्बा को रहन बय बक्षीस कर हस्तान्तरित नहीं करें करावें तथा उक्त आराजियात के 01 बीघा 10 बिस्वा भू भाग जो कि हॉल आराजी संख्या 628 व 629 से लगा हुआ है, से वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करें करावें तथा वादीगण द्वारा कुलिया 17 बीघा रकबे के निरंतर किये जा रहे शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में कोई किसी प्रकार की बेजा दखलदांजी हस्तक्षेप नहीं करें करावें।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगणो को तामिल जारी की गयी, प्रतिवादीगण के विरूद्व उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। वादीगण द्वारा जमाबंदी की नकल, मिलान खसरा, साबिक जमाबदी, नामानतरणकरण की

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर कोड

नकले प्रदर्शित कराये गये व साक्ष्य स्वरूप वादीगण एवं स्वतंत्र गवाहान के शपथपत्र पेश किये गये, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये व साथ ही मौका रिपोर्ट भी तलब की गयी, जिसे व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को शामिल पत्रावली किया गया।

वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध प्रदर्शित दस्तावेजात के अनुसार सरहद चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की साबिक आराजी नम्बर 256 मे से 20 बीघा भूमि वादीगण के पिता फता पिता गोमा गुर्जर द्वारा खातेदार मनोहर सिंह से क्रय की गयी , बाद सेटलमेन्ट नवीन जरीब के अनुसार 17 बीघा 01 बिस्वा बनता है, लेकिन 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादीगण के पूर्वजो के नाम पर दर्ज कर दी गयी, शेष रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या 02 की नवीन आराजी नम्बर 630 मे राजस्व कर्मचारीयो द्वारा लापरवाही पूर्वक मिला दी गयी व प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को विक्रय कर दी गयी, जिसे वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने व वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे सरहद चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की साबिक आराजी नम्बर 256 मे से 20 बीघा भूमि तत्कालीन खातेदार मनोहर सिंह राजपूत से क्रय की गयी , बाद सेटलमेन्ट नवीन जरीब के अनुसार 17 बीघा 01 बिस्वा बनता है, लेकिन 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादीगण के पूर्वजो के नाम पर दर्ज कर दी गयी, शेष रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या 01 की नवीन आराजी नम्बर 630 मे राजस्व कर्मचारीयो द्वारा लापरवाही पूर्वक मिला दी गयी, जो कि दिनांक 30/08/2024 को मौका पर्चा बनाया जिसकी मौका रिपोर्ट अनुसार वादीगण का आराजी नम्बर 630 मे 0.3920 हैक्टयर भूमि पर कब्जा पाया गया व प्रतिवादीगण उक्त इन्द्राज की आड़ मे वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। जिन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना न्यायसंगत है व साथ ही दौराने वाद जो आराजी नम्बर 630 के संबध मे अंतरण दस्तावेज हुए है, जो वादीगण के मुकाबले अवैध है। मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त आराजियात वर्तमान राजस्व ग्राम नागा का बाडिया नवसृजित हो जाने से चिताम्बा के बजाय राजस्व ग्राम नागा का बाडिया मे दर्ज है। अतः सरहद नागा का बाडिया पटवार हल्का पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 630 रकबा 5.8173 हैक्टयर मे से 0.3920 हैक्टयर भूमि राजस्व रेकार्ड खातेदार के खाते से कम कर वादीगण के नाम पर 0.3920 हैक्टयर भूमि खातेदारी हक से दर्ज की जाना व मौका पर्चा के साथ संलग्न राजस्व नक्शे मे दर्शित कब्जे अनुसार तरमीम की जाना एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर सरहद नागा का बाडिया पटवार हल्का पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 630 रकबा 5.8173 हैक्टयर मे से 0.3920 हैक्टयर भूमि राजस्व रेकार्ड खातेदार के खाते से कम कर वादीगण के नाम पर 0.3920 हैक्टयर भूमि खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में वादीगण के

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़ा

नाम दर्ज की जावे व मौका पर्चा के साथ संलग्न नक्शे मे दर्शित कब्जे अनुसार तरमीम कराया जावे व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी कर पांबद किया जाता है कि प्रतिवादीगण वादीगण को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नही करे व बेदखल आदि नही करे व इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किया जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 03.09.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(बन्शी धर योगी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)